यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान देहरादून के माह 12/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं डॉ॰ सतीश पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.06.2018 से 28.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार वरि. लेखापरीक्षक, श्री अरविन्द शर्मा सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्दर कुमार सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 10.01.2017 तक श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान देहरादून द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मे राज्य हेतु पारित गतिविधियों हेतु जनपद स्तर को धनराशि अवमुक्त की जाती है। सूचनाओं का आदान प्रदान केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ किया जाता है। समस्त गतिविधियों के आय व्यय विवरण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड राज्य है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	NA							
2016-17								
2017-18								

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	अवमुक्त	ब्याज	व्यय	बचत
2015-16	सर्व शिक्षा अभियान	7260.85	31258.31	609.78	37975.02	1153.92
2016-17		1153.92	40890.95	591.32	41445.52	728.80
2017-18		728.80	67931.88	95.41	66463.79	2292.30

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भागीदारी देयता 90:10 के आधार पर दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **अ** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. राज्य परियोजना निदेशक
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक
3. जिला परियोजना अधिकारी
4. बी. आर. सी.
5. सी. आर. सी.

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1-: धनराशि ₹ 1851.12 (978.41+872.71) लाख समायोजन न किया जाना।

1.) विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि विभाग के आर्थिक तुलन पत्रक (Balance Sheet) मे Schedule-B Audit observations बिन्दु संख्या (a), (b) मे ग्राम निधि के अन्तर्गत ₹ 14.77 लाख की धनराशि व एस॰एम॰सी॰ के अन्तर्गत ₹ 1763.05 लाख की धनराशि अग्रिम दी गयी थी उक्त अग्रिम दी गयी धनराशि के सापेक्ष क्रमश ₹ 12.77 लाख की धनराशि व ₹ 965.64 लाख की धनराशि को बिना बिल वाउचर के समायोजित कर दिया गया। विभाग ने उत्तर मे बताया कि वैद्यानिक लेखा परीक्षा अवधि मै वैद्यानिक लेखा परीक्षकों द्वारा ग्राम निधि एवं एस॰एम॰सी॰ स्तर पर उपलब्ध उपभोग प्रमाण पत्रो के सत्यापन की पुष्टि के पश्चात ही धनराशियाँ लेखों मे समायोजित की गयी। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि वैधा वैद्यानिक लेखा परीक्षा अवधि मै वैधा वैद्यानिक लेखा परीक्षकों द्वारा 31 मार्च 2017 को अपनी वैद्यानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट बिन्दु संख्या (a),(b) में ग्राम निधि के अन्तर्गत ₹ 12.77 लाख की धनराशि व एस॰एम॰सी॰ के अन्तर्गत ₹ 965.64 लाख की धनराशि को बिना बिल वाउचर के समायोजित किया जाने की पुष्टि की है।

अत: ₹ 978.41 लाख अग्रिम दी गयी धनराशि को बिना बिल वाउचर के समायोजित किया जाना का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

2.) सर्व शिक्षा अभियान, नियमावली 2010 के बिन्दु संख्या 77.1 में यह उल्लेख किया गया है कि "The next higher authority above the authority who released the advances will strictly monitor the progress of adjustment of advances and take remedial measures required for the speedy adjustment of advances within the time limit prescribed above." और बिन्दु सं0 75.3 के अनुसार "In case the utilisation certificate/ expenditure statement not received within the prescribed time limit, further advances shall not be made".

इकाई की बैलेन्स शीट माह/दिनांक 31 मार्च 2017 का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न जिलों में वर्ष 2010–11 में ग्राम निधियों को जारी की गयी धनराशि में से रू0 83.44 लाख मूल्य की धनराशि एवं वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी को जारी की गयी धनराशि में से रू0 789.27 लाख की धनराशि माह **मई** 2018 तक असमायोजित थी। जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पश्चात तक उक्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार मार्च 2017 तक विभिन्न जिलों में कुल रू0 789.27 लाख की धनराशि असमायोजित पड़ी थी। आगे यह भी पाया गया कि पूर्व में जारी किये गये अग्रिमों का समायोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर ही वर्ष 2017–18 में रू0 59734.04 लाख की अग्रिम धनराशि विभिन्न जिलों को निर्गत की गयी। विवरण निम्नवत है।

(Rs. in lakh)

Name of District	Advance					Released advance in 2017-18
	Gram Nidhis	SMCs Up to 2014-15	SMCs for 2015-16	SMCs for 2016-17	Total	
Almora		-	-	105.83	105.83	5313.83
Bageswar	1.40	-	-	45.46	46.86	2718.4
Chamoli	-	5.65	-	28.50	34.15	5264.02
Champawat	-	-	-	33.27	33.27	2549.5
Dehradun	-	37.13	-	46.50	83.63	5849.17
Haridwar	46.83	-		9.42	56.25	4751.82
Nainital	8.78		-	49.45	58.23	4310.51
Pauri	17.35		-	24.54	41.89	4280.68
Pithoragrah	-		15.32	267.24	282.56	5297.86
Rudraprayag			-	2.54	2.54	2919.84
Tehri			-	82.34	82.34	6840.83
US Nagar	9.08		-	11.44	20.52	5616.22
Uttarkashi			-	24.64	24.64	4021.36
Total	**83.44**	**42.78**	**15.32**	**731.17**	**872.71**	**59734.04**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि जनपदो द्वारा उप जिला स्तर को स्वीकृत बजट के अनुसार धनराशियाँ अग्रिम रूप से प्रेषित की जाती है वर्ष समाप्ति या निर्धारित समय सीमा से भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना कार्यालय मे मगाएं जाते है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का रख-रखाव जनपद एवं एस0 एम0 सी0 स्तर पर किया जाता हैं एवं ग्राम निधियों का वर्ष 2010-11 ₹ 83.44 लाख, एस0 एम0 सी0 का वर्षवार 2014-15,2015-16 एवं 2016-17 का क्रमश ₹ 42.78 लाख, ₹ 15.32 लाख एवं ₹ 731.17 लाख का समायोजन अपेक्षित है। वर्ष 2017-18 जनपदों के अनुमादित बजट के सापेक्ष अवमुक्त ₹ 59734.04 लाख धनराशि है, जिसमें ₹ 34360.69 लाख का भुगतान शिक्षक वेतन में व्यय किया गया है। ₹ 17614.24 लाख की एस0 एस0 सी. को विभिन्न गतिविधियों हेतु आन्तरित की गयी एवं धनराशि ₹ 7759.11 लाख पूंजीगत कार्य तथा पूर्व वर्षो के स्पिल आवर से संबन्धित है। अत: विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग बिना समायोजन प्रमाण पत्र प्राप्त किए ही ₹ 59734.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

अतः रू0 872.71 लाख का समायोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर ही ₹ 59734.04 लाख को अवमुक्त किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर-2: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन में उपलब्ध बजट का पूर्ण उपयोग न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में शालत्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) की स्थापना की गयी। वर्तमान में प्रदेश के 12 जनपदों में 28 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इसमें विद्यालय छोड़ चुकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़े जाति व निर्धन परिवार की बालिकाओं हेतु कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था की गयी। KGBV शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉक में स्थापित किए जाते है। जहां महिला ग्रामीण साक्षारता राष्ट्रीय स्तर से नीचे होती है। निम्न तालिका में योजनांतर्गत एक्टिविटी में विगत तीन वर्षों में किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत है:

(₹ लाख में)

Activity	**Total Outlay 2015-16 to 2017-18**		**2015-16**		**2016-17**		**2017-18**	
			Achievement		**Achievement**		**Achievement**	
	Phy.	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**
Warden ₹25000 प्रति	28	84.00	28	56.00	28	18.91	28	78.00
3 Part time teacher ₹5000 प्रति	28	50.40	28	35.38	28	36.17	28	29.05
Accountant ₹10000 प्रति	28	33.60	28	21.04	28	16.86	28	17.41
Support staff 5000 प्रति	28	33.60	28	23.36	28	29.31	28	22.59
Cooking staff 1 head cook 6000 प्रति &1 Asst cook 4500 प्रति	28	35.28	28	29.84	28	32.31	28	25.58

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त वर्षों में कम व्यय के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति अपनी सुविधानुसार पद छोड़ देते हैं, नयी नियुक्ति होने तक पद रिक्त रह जाते हैं जिससे शत प्रतिशत पद नहीं भर पाते हैं। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजनांतर्गत छात्रावासों का संचालन का उत्तरदायित्व इकाई का था और इकाई छात्रावासों का संचालन उचित रूप से नहीं कर पाई।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- सिविल कार्यो हेतु ₹ 4783.14 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्तमान में लम्बित कुल 2603 कार्यो को प्रारम्भ नही किया जाना ।

कार्यालय में निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को, जारी की गयी धनराशियों के अनुश्रवण हेतु अधिकार प्रदान किया गया है। सिविल कार्य के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निम्न प्रकार से व्यवस्था की गयी है।

"At state level separate wing is established for civil work. Wing is headed by Executive Engineer and for technical assistance post of Assistant Engineer and Junior Engineer is created. State Project office organises review meeting with district official and technical persons to monitor progess of civil works and during field visit of SPOs official's physical verification is also done".

इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पुराने वर्षो से लेकर **मई** 2018 तक कुल 77208 सिविल **कार्यो** का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 72215 कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं 2390 कार्यो पर कार्य जारी था, साथ ही 2603 कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किये जा सके थे। जबकि रू0 4783.14 लाख (83367.91-78584.77) की धनराशि सिविल कार्यो हेतु शेष बची हुई है। विवरण निम्नवत है।

सिविल कार्यो का विवरण

(रू0 लाख)

S.N	Target	Under const.	Complete	Not Start	Fin	Exp.
1	77208	2390	72215	2603	83367.91	78584.77

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि वर्ष 2012-13 से अद्यतन भारत सरकार से कुल स्वीकृत बजट के सापेक्ष केवल 45.83 प्रतिशत अवमुक्त की गयी है इसलिए धनराशि नही है, जिससे कारण कार्य अधिकांशत प्रारम्भ नही किये जा सके।

विभाग द्वारा यह कहा जाना कि वर्ष 2012-13 से भारत सरकार द्वारा बजट के सापेक्ष केवल 45.83 प्रतिशत अवमुक्त की गयी है मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनारम्भ कार्यो की सूची के अनुसार वर्ष 2012-13 से पूर्व के कुल 5 कार्य जोकि वर्ष 2008-09 से अनारम्भ थे, जोकि अतिथि तक प्रारम्भ नही किये जा सके, जबकि उक्त वर्षो भारत सरकार द्वारा पूरी राशि अवमुक्त की गयी थी। वर्ष 2012-13 से अधतन भारत सरकार सिविल कार्यो हेतु ₹ 4783.14 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्तमान में लम्बित कुल 2603 कार्यो को प्रारम्भ नही किया जा सका।

अत: सिविल कार्यो हेतु ₹ 4783.14 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी वर्ष 2008-09 वर्तमान में लम्बित कुल 2603 कार्यो को प्रारम्भ नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
154/2016-17	-	01, 02, 03
93/2015-16	-	01, 02
44/2011-12 (AB)	-	01, 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………………………..Nil……………………………………..

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री दीपेश कुमार चौधरी	राज्य परि. अधि.	09-12-2016 से 27-04-2017 तक
2.	डॉ॰ कै. आलोक शेखर तिवारी	राज्य परि. अधि.	28-04-2017 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र